समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 48/शस्त्र, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा श्री कुमार जीवेश्वर पिता श्री चितरंजन सिंह, स्थाई पता- शैलचिन्ह, गोकुल पथ(नालापार) पटेलनगर, पाटलीपुत्र, पटना-24 तथा अस्थाई पता- श्री शशिनाथ राय, रास बिहारी उच्च विद्यालय, मधेपुरा की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किये जाने के कारण एक एन.पी.बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या- 17/2001(मधेपुरा थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा- 17(3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

श्री कुमार के द्वारा दिनांक 16.01.2014 को स्पष्टीकरण एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित किया है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 में निर्गत अनुज्ञप्ति पर अभी तक 13 साल बीत जाने के बाद भी शस्त्र क्रय कर इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं इनके द्वारा वर्ष 2007 से 2015 तक नवीकरण करने तथा शस्त्र प्रस्तुत करने हेतु जून, 2014 तक समय निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा वर्ष 2006 से अभी तक अर्थात 07 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराया गया है तथा इस अनुज्ञप्ति पर शस्त्र कय नहीं किया गया है, जो शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का उल्लंघन है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का उल्लंघन किए जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत श्री कुमार जीवेश्वर पिता श्री चितरंजन सिंह, स्थाई पता- शैलचिन्ह, गोकुल पथ(नालापार) पटेलनगर, पाटलीपुत्र, पटना-24 तथा अस्थाई पता- श्री शशिनाथ राय, रास बिहारी उच्च विद्यालय, मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल की अनुज्ञप्ति संख्या-17/2001(मधेपुरा थाना) को ''रद्द'' किया जाता है। श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे तत्क्षण शस्त्र की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि उसे नियमानुसार रद्द कर अनुज्ञप्ति पंजी में इसकी प्रवृष्टि की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी श्री कुमार द्वारा एन.पी.बोर रायफल की अनुज्ञप्ति सं0-17/2001 (मधेपुरा थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने के उपरान्त शस्त्र पंजी में प्रविष्टि करवा कर ''रद्द'' कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......177....../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....07/04/14......

प्रतिलिपि : सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि : श्री कुमार जीवेश्वर पिता श्री चितरंजन सिंह, स्थाई पता- शैलचिन्ह, गोकुल पथ(नालापार) पटेलनगर, पाटलीपुत्र, पटना-24 तथा अस्थाई पता- श्री शशिनाथ राय, रास बिहारी उच्च विद्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

7/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।